29-9-23
पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 13/10/23 को पेश हो।

13-10-23
पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 17/10/23 को पेश हो।

17-10-23
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। समयाभाव से आदेश नहीं लिखाया जा सका। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। बहस में वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मांडल तहसील मांडल में आराजी नम्बर 2622 रकबा 1-01 बीघा, आ०नं० 2623 रकबा 0-01 बिस्वा, आ०नं० 2876 रकबा 3-01 बीघा, आ०नं० 2931 रकबा 0.09 बिस्वा कुल कीता 4 कुल रकबा 4-12 बीघा भूमि ठाकुर जी मनशानंद उर्फ मधुसूदन जी मंदिर मूर्ति की खातेदारी की है। उक्त मंदिर के पुजारी सुखराम दास वल्द तुलसीदास वैष्णव थे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिस अपने अपने ओसरे के अनुसार सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं एवं वाद वर्णित भूमि की भी व्यवस्था करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण का वादवर्णित आराजीयात में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन आ० [illegible] 2622 रकबा 1-01 बीघा भूमि में जबरन [illegible] कर उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:04:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से वंशानुगत पुजारियों को बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 18-04-2018 को प्रतिवादीगण ने पुलिस थाना मांडल के पुलिसकर्मियों से मिलकर पुजारी महावीर प्रसाद को थाने में बुलाकर चाबियां सिपुर्द करने का दबाव बनाया व आ०न० 2622 में भोजनशाला, व धर्मशाला निर्माण करने की धमकी दी जिसका प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। वादपत्र के तथ्यों का प्रतिवादीगण के द्वारा कोई खण्डन नहीं किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमावे कि ग्राम मांडल की आ०न० 2622 रकबा 1-01 बीघा भूमि पर किसी प्रकार से अपना नाजायज कब्जा स्थापित नहीं करें, कोई निर्माण नहीं करें व वंशानुगत पुजारी की व्यवस्था एवं पूजा अर्चना के कार्य में कोई दखल व बाधा उत्पन्न नहीं करें व फसल को नष्ट नहीं करने तथा मौके पर किसी प्रकार का अकृषि प्रयोजन से निर्माण आदि नहीं करे न अपने किसी अन्य प्रतिनिधियों से करावे। हमने वकील वादी की बहस सुनी तथा वाद में अंकित तथ्यों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादीगण बावजूद तामील हाजिर नहीं होने से इनके खिलाफ दिनांक 5/3/2020 को एक तरफा आदेश पारित किया। वादी के द्वारा ग्राम मांडल की जमाबन्दी खाता 2246 सम्वत [illegible] पेश की जिसमें आ०न० 2632, 2623, [illegible] 2931 कुल कीता 4 कुल रकबा 4-[illegible] बीघा [illegible] मन्सानन्द जी स्थान देह खातेदार [illegible] है [illegible] राजीयात मन्दिर मूर्ति की भूमि है जिसकी देखरेख व पूजा अर्चना का कार्य पूर्व में सुखराम दास वल्द कुलधीराम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:04:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	

दास वैष्णव पुजारी की हैसियत से करते थे जिसकी
पुष्टि पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत
2012 से 2016 प्रदर्श-1, जमाबन्दी सम्वत 2016 से
19 प्रदर्श-2, जमाबन्दी सम्वत 2010 से 13 प्रदर्श-3
व जमाबन्दी सम्वत 2024 से 27 प्रदर्श-4 से होती है
जिनमे कृषि भूमि मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज है एवं
पुजारी की हैसियत से सुखरामदास वल्द तुलसी-
राम दास बैरागी का नाम दर्ज चला आ रहा है।
वादी का कथन है कि सुखरामदासजी का देहान्त
हो चुका है एवं वादी मन्दिर मूर्ति मनानन्दजी की
वंशानुगत परम्परा से पूजा अर्चना करता आ रहा
है एवं मूर्ति भूमि की व्यवस्था एवं अपने उदरपूर्ति
हेतु कृषि भूमि पर काश्त करता आ रहा है। प्रति
वादीगण के द्वारा बावजूद सूचना के वाद के तथ्यों
का लिखित या मौखिक न्यायालय में स्वयं या
प्लीडर के माध्यम से खण्डन पेश नहीं किया है
इससे प्रतिवादीगणं द्वारा मन्दिर मूर्ति की भूमि
मे नाजायज कब्जा करने एवं निर्माण आदि करने
की पुष्टि होती है जिसका प्रतिवादीगण को कोई
हक अधिकार नहीं है। अपने वाद की पुष्टि में वादमित्र
पुजारी महावीर प्रसाद के मौखिक बयान कलमबद्ध
किए गए। उक्त बयान में प्रदर्श-7 पुलिस उप अधीक्षक
माण्डल द्वारा भगवान मधुसुदन मन्दिर माण्डल
के पुजारी महावीर प्रसाद पिता बालकिशन वैष्णव
निवासी नीलगर । का [illegible] के नाम पर
जलझूलनी [illegible] 1-9-17 को
क्रमांक 3[illegible] जारी किया जाना
यह स्पष्ट करता है कि भगवान मधुसुदन जी की
पूजा अर्चना पुजारी महावीर प्रसाद वैष्णव के

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:04:38 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा की जाती है। प्रदर्श-8 व प्रदर्श-9 मौके के फोटोग्राफस पेश किए जिसमें प्रदर्श-8 में मन्दिर निर्माण व फसल काश्त होना पाया जाता है। प्रतिवादीगण का माण्डल की आ०न० 2622 रकबा 1-01 बीघा में कोई हक अधिकार नहीं है जबकि वादी ने वाद वर्णित आ० न० 2622 को भगवान मधुसुदन मिन्मानन्द जी स्थान देह के खातेदारी की होकर मौके पर कब्जा काश्त होना पाया जाता है। एवं इनकी पूजा अर्चना एवं भूमि की देख रेख व अपनी उदर पूर्ति हेतु इस पर काश्त किया जाना भी वादमित्र पुजारी महावीर प्रसाद वैष्णव एवं वंशानुगत परम्परानुसार किया जाना सिद्ध होता है। अतएव:-	

आदेश

वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री जारी की जाती है कि मौजा माण्डल की आ०न० 2622 रकबा 1-01 बीघा पर किसी प्रकार अपना नाजायज कब्जा न करे, कोई निर्माण न करे एवं वंशानुगत पुजारी की व्यवस्था एवं पूजा अर्चना के कार्य में कोई दखल व बाधा कारित न करें एवं इसमें बुवाई की गई फसल को नष्ट नहीं करें उक्त कृत्य अपने अन्य प्रतिनिधियों से भी नहीं कराने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:04:38 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] बांसवाड़ा

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री हुकमीचन्द रोहलानिया (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री ठाकुर जी मनशानंद उर्फ मधुसुदन जी मंदिर मूर्ति शाश्वत् अवयस्क जरिये वादमित्र एवं पुजारी महावीर प्रसाद पिता बालकिशन वैष्णव निवासी-बीसगरो का चौक मांडल, तहसील - मांडल जिला -भीलवाड़ा (राज.)

वादी

बनाम

1. श्री गोपाल गिरी वल्द हेमगिरी गुसाई निवासी- मांडल तहसील- मांडल
2. श्री मांगीलाल वल्द राधेश्याम शर्मा पेशा सहायक कर्मचारी शिक्षाविभाग कि मांडल त. मांडल
3. श्री मुरली जोशी वल्द मनोज जोशी निवासी -मांडल तहसील-मांडल
4. श्री रतनलाल तिवाड़ी वल्द धूकललाल उर्फ रोड़ीलाल तिवाड़ी पेशा पेंशनर निवासी -मांडल त. मांडल
5. श्री मनोज जोशी वल्द शक्तिदत्त जोशी निवासी- मांडल तहसील- मांडल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 R.T.A. मुकदमा नं0 / वर्ष 34/18 निर्णय दिनांक 17.10.23 यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री श्यामलाल वैद्य Advo, मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री जारी की जाती है, कि मौजा माण्डल तहसील माण्डल की आराजी नं. 2622 रकबा 1.01 बीघा पर किसी प्रकार अपना नाजायज कब्जा न करे, कोई निर्माण न करे एवं वंशानुगत पुजारी की व्यवस्था एवं पुजा अर्चना के कार्य मे कोई दखल व बाधा कारित न करे, एवं इसमे बुवाई की गई फसल को नष्ट नही करे उक्त कृत्य अपने अन्य प्रतिनिधियो से भी नही कराने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:04:38 IST
Reason: SelfAttested

आज तारीख 17-10-23 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला-भीलवाड़ा